न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/82/2018	08–10–2018	30–01–2019

1–पर्मि देवी पत्नी स्व0 अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम नैंथला तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।

–अपीलान्ट

बनाम

1–उप तहसीलदार मालाखेड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार मालाखेड़ा का निर्णय दिनांक 12.01.2007 नामान्तकरण संख्या 462 ग्राम नैंथला तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर।

उपस्थितः–

01. श्री अमरसिंह पटेल –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 12.01.2007 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 462 ग्राम नैंथला तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को इंतकाल संख्या 462 की नकल दिनांक 31.08.2018 को प्राप्त करने पर हुई कि उप तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा अपीलांट का नाम पर्मि देवी के स्थान पर परभाती दर्ज कर दिया गया है। ग्राम नैंथला तह0 मालाखेडा में जो आराजीयात अपीलार्थिनी के पति अमरसिंह पुत्र गणेश गुर्जर के फौत हो जाने पर अपीलार्थिनी का विरासत में प्राप्त हुई। अपीलार्थिनी द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तब अपीलार्थिनी का नाम पर्मि देवी के स्थान पर परभाती दर्ज होना पाया गया, तब उक्त इंतकाल की नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। विवादित आदेश 12.01.2007 का है। जिसका ज्ञान पूर्व में अपीलार्थिनी को नहीं था। नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गई है। जिसके लिए पृथक से धारा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र पेश किया है। वाद ग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलार्थिनी का नाम परभाती पत्नी अमरसिंह दर्ज किया गया है, जबकि सही नाम पर्मि देवी पत्नी अमरसिंह है। जिसके साक्ष्य में अपीलार्थिनी द्वारा आधार कार्ड व राशन कार्ड की स्वसत्यापित प्रति पेश की गई है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम अंकित होने से अपीलार्थिनी को कठिनाई व असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अपीलार्थिनी द्वारा रैस्पो0 के समक्ष निवेदन किया गया, लेकिन रैस्पो0 द्वारा अपीलार्थिनी के प्रा0पत्र पर कोई गौर नहीं किया गया। अपीलार्थिनी द्वारा वाद ग्रस्त आराजीयात में सहभागीदार भरतसिंह से जमीन क्रय की गई है। जिसका इंतकाल संख्या 1377 दिनांक 06.03.2018 है। जिसमें अपीलार्थिनी का नाम पर्मि देवी दर्ज किया गया है। अतः अपील अपीलार्थिनी स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल संख्या 462 दिनांक 12.01.2007 मे अपीलार्थिनी का नाम परभाती के स्थान पर पर्मि देवी दर्ज करने के आदेश फरमाये जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

12.01.2007 के विरूद्ध दिनांक 08.10.2018 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 12 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि उप तहसीलदार मालाखेडा द्वारा इंतकाल दर्ज व स्वीकृत करते समय अपीलार्थिनी के दस्तावेजात् का अवलोकन नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थिनी उप तहसीलदार मालाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थिनी के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)